

बिहार सरकार  
सहकारिता विभाग

कार्यालय आदेश

बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006 की कंडिका-12 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत विभागीय प्रोन्नति समिति की दिनांक 22.05.2018 को सम्पन्न बैठक में किये गये अनुशंसा के आलोक में सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के निम्नलिखित निम्नवर्गीय लिपिक को उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर पे मैट्रिक्स लेवल-04 (अपुनरीक्षित ग्रेड पे-2400) में सशर्त औपबंधिक प्रोन्नति दी जाती है :-

क्र.सं.	नाम	वर्तमान पदनाम	सशर्त औपबंधिक रूप से प्रोन्नत पदनाम
1.	श्री अमर कुमार	निम्नवर्गीय लिपिक	उच्चवर्गीय लिपिक
2.	श्री कन्हैया लाल ठाकुर	निम्नवर्गीय लिपिक	उच्चवर्गीय लिपिक

3. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर योगदान की तिथि से देय होगा।
4. यह सशर्त औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन सिविल अपील संख्या-4880/2017 (एस.एल.पी. (सी.) संख्या-29770/2015 से उद्भूत) बिहार राज्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

ह./-  
(दिनेश कुमार चन्द्रेश)  
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक...../पटना, दिनांक  
02/सह.नि.व.लि. (प्रोन्नति)-01/14  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले. एवं ह.), बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान आप्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/लेखा शाखा (दो प्रति में) सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-  
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक.....1606...../पटना, दिनांक 25/05/2018  
प्रतिलिपि:- मुख्यालय (सरकार प्रभाग) स्थिति सभी पदाधिकारियों/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आई.टी. मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना एवं श्री अमर कुमार, औपबंधिक रूप से प्रोन्नत उच्चवर्गीय लिपिक एवं श्री कन्हैया लाल ठाकुर, औपबंधिक रूप से प्रोन्नत उच्चवर्गीय लिपिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/05/18

सरकार के अवर सचिव।